

दिनांक:—26.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप.। प्रार्थी स्वयं दावा चलाना नहीं चाहता है। वादी की पहचान श्री कैलाश सिवल वकील ने की। वादी स्वयं के द्वारा दावा नहीं चलाये जाने पर जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।